ISSN: 2349-1876 (Print) | ISSN : 2454-1826 (Online)

शरणार्थी समस्या और मानवाधिकार का प्रश्नः भूटान के विशेष संदर्भ में

डॉ० अनिल कुमार
सहायक अतिथि आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग, अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय
लखनऊ

सारांश

भूटान में शरणार्थियों की समस्या दक्षिण एशिया के अन्य दशे ों की तरह ही जातीय एवं नस्लीय समस्या से जुड़ी हुई है। जिसकी शुरूआत वहाँ के राजा द्वारा की गयी थी, जब भूटान ने सन् १८६४ ई० में एंग्लो भूटानी युद्ध के बाद से भूटान में कृषि कार्य करनं के लिए ६० हजार लोगों को कृषि मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए नेपाल से बुलाया गया। बाद में ये लोग भूटान में ही बस गये, जो आगे चलकर एक शरणार्थी समस्या के रूप मं सन् १८८८ से अनवरत चली आ रही है। इस समस्या के कारण भूटान में मानवाधिकार का हनन आज भी व्यापक पैमाने पर देखनें को मिलता है। इस समस्या के कारण पश्चिमी देशों, भारत और पूर्वी नेपाल के मोरंग और झापा जिलों में नेपाली मूल के भूटानी लोग शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर है। आज भी उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य नागरिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। और जहाँ तक मानवाधिकार का प्रश्न है, तो मानवाधिकार एक ऐसा अधिकार है, जो एक मानव को मानव होने के कारण जन्म से प्राप्त होता है। जो जीवन के लिए अनिवार्य है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा नेपाली मूल के भूटानी शरणार्थी इन मलू भूत अधिकारों में आज भी वंचित है। इस मुद्द पर नेपाल और भूटान के आपसी रिश्ते भी तनाव पूर्ण है इन दोनों के बीच शरणार्थी समस्या को लेकर अब तक १५ दौर की वार्ता हो चुकी है, पर सकारात्मक परिणाम की उम्मीद अभी भी एक उम्मीद ही है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह है, कि भूटान मं शरणार्थियों के मानवधिकार की वास्तविक स्थिति का पता लगाना और वहॉ के शरणार्थी कैसा जीवन व्यतीत कर रहें है? और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या करना अभी बाकी है? मानवाधिकार से सम्बन्धित इन मुद्दो का निष्पक्ष विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

प्रमुख शब्द : शरणार्थी नृजातीयता, नागरिक,राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार नस्लीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा मानवाधिकार लोकतंत्र, नेपाल आदि।

परिचय

शरणर्थियों की प्रस्थिति अभिसमय 1951 के अनुसार - शरणार्थी वह व्यक्ति है, जो जाति, धर्म या राष्ट्रीयता व किसी भी सामाजिक दल की सदस्यता का राजनीतिक मत के आधार पर उत्पीड़न के भय से अपने गृह देष से बाहर किया जाता है या बाहर रहने को मजबूर है, उसे

शरणार्थी कहते है।१ भूटान मं` शरणार्थियों की समस्या भी अन्य दक्षिण एशियाई देशों के तरह कही न कही जातीय समस्या से जुड़ी है। क्योंकि सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में बहुसंस्कृति समाज देखने को मिलता है। जैसा कि एक अध्ययन के मुताबिक भारत में जहां 128 जातीय व धार्मिक समूह पाये जाते है। पाकिस्तान में वहां 55, अफगानिस्तान और भूटान में 90, बंग्लादेश में 19, नेपाल मे 60, श्रीलंका में 57, जातीय एवं नस्लीय व धार्मिक समूह देखने को मिलते है।२ दक्षिण एशिया में मानवाधिकार की समस्या हमे लगभग द्वितीय महायुद्ध के बाद से दिखाई देता है, जो लगभग १९९० के दशक में राज्य व सरकार के समक्ष एक चुनौती के रूप में सामने आती है३। जहां तक भूटान में शरणार्थियों की समस्या का प्रश्न है, वहां के राजतन्त्र व अंग्रेजों की शोषित नीति के कारण दिखाई देता है, वैसे नेपालियों का भूटान में प्रवेश १९वीं शताब्दी के प्रारम्भिक समय में मैची नदी के पूर्वी भाग मं` सबसे पहले प्रविष्ट हुए विशेष रूप से संगोली की सन्धि जो १८१५ ई०४ मं` नेपाली लोगो और अंग्रेजी प्रशासन के बीच सम्पन्न होने के बाद से ही नेपालियों का भूटान मं` बसना प्रारम्भ हो गया था। क्योंकि नेपाली मूल के लोगों को भूटान मे बसाने के पीछे अंग्रेजों की यह नीति थी, कि तिब्बत और चीन की सीमा पर ऐसे सस्ते महे नती श्रमिकों को बसाया जाय, जिससे उनके कृषि व्यवसाय का हित साधन होता रहे। क्योंकि वे जानते थे, कि मूल भूटानी नाग्लौंग, सरचौपा, इतन` मेहनती नही थे कि वे इस पर्वतीय क्षेत्रों पर काम कर सके।[५]

इस समस्या का प्रारम्भ १८६४ ई० में एग्लो भूटानी युद्ध[६] के बाद, १८६५ में सिचुला की संधि के तहत भूटान ने अपने १८ दुअर्स हमेशा के लिए ब्रिटिश राज्य को अर्पित कर दिया।[७] इसके बाद से ही भूटान में नेपालियों का प्रवेश आसान हो गया और बाद मं` भी बढ़ता रहा। १९५० के आस-पास डी०वी० गुरुंग तथा अन्य नेताओ के नेतृत्व में भूटान स्टेट कांग्रेस[८] की स्थापना हुयी और जनतांत्रिक व्यवस्था लाने की मांग उठी, उन्ही दिनों जिग्मे दोरजी वांगचुक ने १९५३ म` एक राष्ट्रीय संसद की स्थापना की[९] जो एक मायने मं` जनतांत्रिक स्वरूप की प्रतीक थी। इससे संसद और नौकरशाही में नेपालियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा, १९५८ में एक नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत नेपालियों को भी नागरिकता प्राप्त हुयी, इसके बाद १९८८ ई० तक एक गम्भीर मानवाधिकार की समस्या शरणार्थी समस्या के रूप में देखने को मिलती है।[१०]

मानवाधिकार

सर्वप्रथम मानवाधिकारो ं की सार्वभौमिक घोषणा, १९४८ में १० दिसम्बर, १९४८ को अपनाया गया इसम` कुल ३० अनुच्छेद दिये गए है, इन्हें सभी राज्यों के लिए कानून बनाने में प्रेरणा स्त्रोत की तरह अपनाया जाना आवश्यक है। इसके अर्न्तगत जीवन, स्वतंत्रता, समानता, और गरिमा से सम्बन्धित सिद्धांत शामिल किये गए है। इसके साथ ही ये मानवाधिकर समान रूप से सभी मनुष्यों को उसके मनुष्य (मानव) के रूप में पैदा होने के कारण जन्म से ही प्राप्त होते है, तथा वह जीवन के लिए अनिवार्य हैं।[११] क्योंकि कोई भी राज्य व सरकार किसी भी मनुष्य को उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नही कर सकती। और न ही किसी को जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय व राष्ट्रीयता से अलग नही कर सकती, और यही अधिकार

शरणार्थी शिविरों मे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक मानव होने के कारण उनका मानवाधिकार भी है। जिसके अर्न्तगत प्रत्येक नागरिक को बुनियादी अधिकार यथा (स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार व सुरक्षा) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व नागरिक, सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लखे ा किया गया है। जो प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, चाहे वह शरणार्थी ही क्यों न हो?[१२]

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, १९४८ के अनुच्छेद १४ के अनुसार, प्रत्यके के उत्पीड़न से बचने के लिए अन्य देशों में आश्रय प्राप्त करन े तथा उपभोग करने का अधिकार है, परन्तु इस अधिकार का गरै राजनीतिक अपराधों या संयुक्त उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के विपरीत कृत्यों के मामले में प्रयोग नही किया जा सकता है।[१३] आर्थिक, सामाजिक एव ं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 (International Convenanton Economic, Social, and Cultural Rights 1966) जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा १६ दिसम्बर १९६६ को पारित किया गया जिसमें कुल ३१ अनुच्छेद हैं, जो ५ भागों में विभाजित है, जिसे ३ जनवरी १९७६ से लागू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य - मानव परिवार के सभी सदस्यों की सहज गरिमा तथा समान एवं आहरणीय अधिकारों की स्वीकृति विश्व में स्वतंत्रता, न्याय एवं शान्ति की आधारशिला है। क्योंकि ये अधिकार भी व्यक्ति की सहज गरिमा से उद्भूत होते है।[१४] नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर अतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 (International Convenanton Civil and Political Rights 1966) जिसका प्रमुख उद्देश्य, सभी जन समाजों को आत्मनिर्णय का अधिकार है, और किसी जन समाज को उसकी जीविका के साधनो से वंचित नहीं किया जा सकता।(अनु०१) इसके साथ नस्ल, रंग, लिंग,भाषा, धर्म राजनैतिक तथा अन्य मत राष्ट्रीय या सामाजिक व मूल सम्पत्ति, व जन्म स्थान किसी भी आधार पर राज्य कोई भेदभाव नही करेगा। (अनु०२)[१५] सभी प्रकार के नस्लीय विभेदों के उन्मलू न पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination1965-1969) संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने २१ दिसम्बर, १९६५ को सभी प्रकार की नस्लीय विभेदों के उन्मलू न पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को अंगीकार किया जो ४ जनवरी, १९६९ से प्रभावी हुआ संयुक्त राष्ट्र का यह अधिकार पत्र- सभी मनुष्यों की सहज गरिमा और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है और इस अभिसमय पर सभी पक्षाकार राज्यों ने संयुक्त राश्ट्र के इस प्रयोजन को जो नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर कोई विभेद किये बिना सबके लिए मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान और उनके अनुपालन को बढावा व प्रोत्साहन देता है।[१६]

विकास के अधिकार सम्बन्धी घोषण ४ दिसम्बर, 1984 (Declaration on the Right to Development1984) इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय प्रकृति की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म के विभेद के बिना सबके लिए मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना को बढाने और प्रोत्साहन देने में है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति के संबन्ध में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के प्रयोजनों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें।[१७] भूटान में शरणार्थी समस्या की

वर्तमान स्थिति :- १९वीं शताब्दी के मध्य में भूटान के तीसरे नरेश जिग्में दोरजी वांग्चुक ने नेपाल से आये कृषि मजदूरों को खेती करने के लिए जमीन भी दी। और इनका नाम लोथम्पास रखा।[१८] इन लोथम्पासो को १९५० ई० तक इन्हें किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर सम्मिलित नही किया जाता था। किन्तु धीरे धीरे इनमें जागरूकता आने के कारण १९५३ ई० में सर्वप्रथम अपने खिलाफ राजशाही के भेदभाव वाली नीतियों के विरूद्ध पहली बार राजा को एक ज्ञापन दिया। राजा ने अन्ततः १९५८ ई० में इनके ज्ञापन पर विचार करते हुए उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी।[१९] और आगे चलकर दो नागरिकता एक्ट और बनाया। जिसमें १९७७ और १९८८ ई० का एक्ट, जिसे १९८५ ई० में लागू किया गया।[२०]

किन्तु १९८८ ई० में शाही सरकार ने नेपाली समुदाय के बढ़ते जनसंख्या दबाव को देखते हुए वैध व अवैध नागरिकों के बीच छटनी करने के लिए एक "पारम्परिक आचार संहिता" 'ट्रिगलम नामजाह' जिसके अर्न्तगत एक पोशाक, एक भाषा, एक धर्म के अनुपालन पर जोर दिया[२१] और नेपाली भाषा पर प्रतिबन्ध लगा दिया। जिसके खिलाफ भूटान के दक्षिणी भाग में रहने वाले नेपालियों ने इसका व्यापक विरोध किया और छोटे-छोटे दलों को निर्माण कर भूटान में जनतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने की मांग उठायी। अन्ततः इसका सबसे विद्रोहात्मक परिणाम २० सितम्बर से ४ नवम्बर १९९० ई० के मध्य देखने को मिलता है। जब नेपाली मूल के भूटानी नागरिकों के द्वारा अपने नागरिक व राजनीतिक अधिकारों को लेकर भूटान की राजशाही के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और अपनी १३ सूत्रीय मांग प्रपत्र के माध्यम से राजा पर निम्न आरोप लगाए-

१. संसदीय लोकतन्त्र को ठण्डे बस्तें में डालने।
२. संसद व न्यायपालिका को कठपुतली बनाने को प्रयास।
3. भूटानीकरण की आड़ में जातीय व नस्लीय आधार पर भेदभाव करने का प्रयास आदि।[२२]

इसी का परिणाम था, कि भूटान के नरेश ने स्वयं राजतन्त्र से संवैधानिक प्रजातन्त्र की तरफ कदम बढ़ाया और इसे 'सकल राष्ट्रीय खुशी' (GNH) अर्थात् 'जनता' को विकास के घेरे में लाना, न कि 'विकास' को जनता के घेरे में लाना। इसी (GNH) रणनीति की तहत मुख्यतः चार बिन्दुओं पर बल दिया गया है, जिसमें-

१. आर्थिक प्रगति और विकास

२. सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण व सर्वधन

३. पर्यावरण का संरक्षण

४. कुशल प्रशासन२

शरणार्थियों के मुद्दे पर भूटान की शाही सरकार की ५वीं वार्षिक रिपोर्ट 2013 (Royal Government of Bhutan Fith Annual Report (4th March 2013) Thimphu) के आधार पर स्पष्ट होता है, कि दिसम्बर २०१२ तक करीब ७५ हजार २६१ शरणार्थियों को पूर्वी नेपाल के झापा और मोरगं से पश्चिमी देशों में पुर्नविस्थापित किया गया है। जिसमें अमेरिका में ६३,५४३, कनाडा में ५,२९६ आस्ट्रेलिया मं` ३,८३९, डेनमार्क में मात्र ७४४, न्यूजीलैण्ड में ७१०, नार्वे मं` ५४६, नीदरलैण्ड में ३२६ एव ब्रिटेन में २९७ आदि। लोगो को फिर से बसाया जा रहा है। भूटान में शरणार्थी समस्या के संदर्भ में : शाही सरकार के प्रयास एवं विश्लेशण २२ जून १९९३ ई० बियना में हुए मानव अधिकार सम्मेलन में भूटान के विदेश मंत्री दावा शेंरिग ने कहा- ''हम मानव अधिकार की सुरक्षा व बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सभी समाज के विभिन्न श्रेणियों के लोग समाहित है, चाहे वह महिलायें हो या बच्चे- विकलांग या वृद्ध सभी लोगों के कल्याण के लिए भूटान सरकार अपनी सीमा के अन्तर्गत प्रयास कर रही है। क्योंकि बौद्ध धर्म हमारी एक जीवन्त परम्परा है। जिसकी बुनियाद में मानवीय अधिकार पहल` से ही समाहित है, जो मानव मूल्य के अंग है, और हम मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए प्रयत्नषील रहेंगे। किन्तु इन सभी नीतियों का परिणाम मानवाधिकार के उल्लंघन के रूप मं` जो एक समय भूटान की अर्थव्यवस्था की रीड़ समझे जाते थे , नेपाली समुदाय को चुकाना पड़ा। जिनकी संख्या एक समय भूटान के कुल आबादी के लगभग ४५ प्रतिशत तक पहुंच गयी थी १९९१ में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार, एक लाख से अधिक लोगों को भूटान छोड़कर भागना पड़ा। क्योंकि उनके ऊपर तरह-तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाकर उन्हें जबरन भूटान से जाने को मजबूर किया गया और उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बॉटकर उनकी प्रमाणिकता के दावे खुदनावरी कैम्प में रहने वाले शरणार्थियों की श्रेणी भूटान की संयुक्त मं त्रपरिषद् समिति की रिपोर्ट इस प्रकार थी-

	परिवार	व्यक्तिगत	प्रतिशत
सच्चा भूटानी	७४	२९३	२.५
अप्रवासी भूटानी	२१८२	८५९५	७०.५
गैर-भूटानी	८१७	२९४८	२४.२
अपराधी	८५	३४७	२.८
योग	३१५८	१२,१८३	१००

Source: This figure is drawn from the U.S. Department of Stat's county report on human rights practices in Bhutan, dated February 2001. See also 'RCSC has carried out Assembly resolution' Kuensel, July 25, 1998

जो आज पूर्वी नेपाल के झापा और मोरंग जिलों में सात शरणार्थी शिविरों में रखे गये है। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग पश्चिमी देशों मे ं व पड़ोसी देशों के शरणार्थी शिविरों मे ंरहने को मजबूर है। य े सभी लोग १९९० से लेकर आज तक भीषण यन्त्रणा से गुजर रहे है। और ये इन शिविरों में बांस व प्लास्टिक के बने झोपड़ो म े अपनी जिन्दगी गुजारने को मजबूर है। आज भी इनके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त पोषण के रूप में अनाज हेतु न रहने को घर न इनके अधिकांश बच्च े कुपोषण के शिकार है। यहां स्कूल की यू िनटे बन्द पड़ी है अस्पताल भी न के बराबर है। इस प्रकार भूटान का 'सकल राष्ट्रीय उल्लास' जिसे 'सुखी लोगों' के नाम से जाना जा रहा है।२५ भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री जिग्में वाई थिग्नलें ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'वर्ड लीडर्स फोरम' में भाग लेने के क्रम में अल जजीरा चनै ल को बताया था, कि 'भूटान में ऐसा लगता है, कि मानो सड़क पर चलने वाले कुत्ते भी मुस्करा रहे हो।२६ भूटान के संविधान के अनुच्छेद-९ में इसे इसी तरह रखा गया है, 'राज्य उन स्थितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, जिससे सकल राष्ट्रीय उल्लास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यहां के कानून के मुताबिक नागरिकता प्राप्त करने की बुनियादी शर्त यह है, कि आपके पास जमीन के स्वामित्व के कागजात होने चाहिए और इस बात का भी प्रमाण होना चाहिए, कि आपके माता-पिता भूटान के नागरिक है। भूटानी अधिकारी इतनी आसानी से किसी की भी नागरिकता को खारिज नहीं कर सकते। क्योंकि उन शरणार्थियों के पास आज भी नागरिकता से संबधित पहचान पत्र, जमीन के मद में दिए गए टैक्स की रसीद, सरकार को दिए गए श्रमदान के दस्तावेज और स्कूल के सर्टिफिकेट भी मौजूद है, जो उनकी नागरिकता के ठोस प्रमाण है। भूटान और नपे ाल द्वारा संयुक्त रूप से २००१ में किए गए एक शरणार्थी शिविर के सर्वेक्षण से पता चला है, कि उस शिविर म े ९५ प्रतिशत से अधिक ऐसे लोग ह,ै जो अपनी भूटानी नागरिकता प्रमाणित कर सकते है।२७ क्या वास्तव में नेपालियों के प्रति भेदभाव की नीति अपनायी गयी है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करना आवश्यक है,

जिन्हें जानकर स्पष्ट होगा कि नेपालियों का उक्त आरोप कितना सही है। चूंकि अधिकांश नेपालियों का निवास दक्षिणी भाग में है, इसीलिए दक्षिण भाग के विकास और उन्नति के लिए पिछले तीन-चार दशकों तक शाही सरकार ने क्या किया इसका जिक्र करना भी आवश्यक होगा।

शाही सरकार की नीति का लेखा जोखा निम्न तथ्यों के आधार पर स्पष्ट हो सकता है-

१. भूटान सरकार की तरफ से १४६ विद्यार्थी भारत में पढ़न` के लिए भेजे गये। जिनमें से ९८ विद्यार्थी नेपाली समुदाय के थे।
२. .भूटान में कुल १९५ विद्यालय है, जिनमें से ७९ विद्यालय दक्षिणी भाग में है जहाँ नेपालियों के बच्चें शिक्षा प्राप्त करते है।
3. कुल २४ में से आठ दक्षिण भाग के पॉच जिलों में खोले गये है।[२८]

भूटान में शरणार्थी उच्चायुक्त की भूमिका

१९९९ मं` शरणार्थियों के मुद्दे पर कुछ प्रगति हुई जैसे १९९३ में स्थापित संयुक्त जॉच दल ने जिसमें नेपाल व भूटान सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच १५ दौर की वार्ता शरणार्थियों के मुद्द` पर अब तक हो चुकी है। जबकि २००१ में संयुक्त जॉच कमेटी जिसमें दोनो दशों के प्रतिनिधि शामिल थे, दिसम्बर, २००३ मं` खुदनावरी कैम्पों के पास भूटानी जॉच टीम पर हमला किया गया और उन्हे मारा-पीटा गया, बड़ी मुश्किल से वे अपनी जान बचाकर भागे। इसके बाद भूटानी सरकार ने अपने अधिकारी भेजने से मना कर दिया और नेपाल सरकार से अपने अधिकारियों के लिए सुरक्षा मांगी।[२९]

१. हॅालाकि नेशनल असेम्बली के ८२वें सत्र २००४ में भूटान के विदेशमंत्री ने कहा कि, हम उन सारे समझौते के लिए तत्पर है, जो हमने नेपाल से किये है, और हम हर सम्भव समाधान ढंढू ने के लिए तैयार है, जो शरणार्थी शिविरों में रह रहे है वे ही सही मायने में भूटानी शरणार्थी है। अक्टूबर २००४ में अमेरिका के राज्य जनसंख्या व शरणार्थी मामलों के सहायक सचिव ऑर्थर जिन डेवी भूटान की यात्रा के दौरान यह कहा कि 'हमे पिछली बातें छोड़कर आगे बढन् ा चाहिए'।[३०] उन्होंने राजा और अधिकारियों से मिलकर इन शरणार्थियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया और कहा कि भूटान इस मामले मे पहल करके स्वयं कोई विस्तृत हल निकालेगा।
२. भूटान के प्रशासन को चलाने के लिए कुल ८,८०६ प्रशासनिक कर्मचारी है, उनमं` से ३५९९ लोग नेपाली जाति के है।
३. भूमि हीन लोगों को कुल २४४३ एकड़ जमीन वितरित की गयी, उसमें ९९७ नेपालियों को दी गयी इसका वितरण १९७८ से १९८९ के बीच हुआ।
४. संतरे तथा इलायची के उत्पादको को कुल ८७.१३ लाख रूपये कर्ज के रूप में दिए थे। यह कर्ज इसीलिए दिया गया, जिससे ये भारतीय महाजनों से कर्ज लन` से बच जाए।
५. जिन नेपालियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया गया उनसे देश छोड़ने लिए नही कहा गया था, बल्कि

उन्होंनें अपनी स्वेच्छा से देश छोड़ दिया।[३१]

विश्लेषण

उक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है, कि भूटान सरकार ने किन्ही विशेष क्षेत्रों को भरपूर बढ़ा वा दिया व सर्वांगीण विकास किया तो वंही पर कुछ ऐसे भी क्षेत्र है, जहॉ आंशिक रूप से विश्वास करने पर सरकार विश्वसनीयता पर ही प्रश्न-चिह्न लग जाता है? वे तथ्य निम्न है-

१. पहली विश्वसनीयता पर संदेह भूटान की जनसंख्या की आंकड़ो को दखे ाकर किया जा सकता है। जिस देश की जनसंख्या १९९० के पहले १३ लाख प्रकाशित की जा रही थी। वह अचानक १९९० में घटकर ६ लाख कैसे हो गयी?

२. दूसरी विश्वसनीयता वहॉ के मानवाधिकार की सुरक्षा को लके र है जिसमं` सार्क के विधिशास्त्री सदस्य जिन्हें भूटान के मानवाधिकार के प्रश्न की जानकारी के लिए एक मिशन भेजा गया था। उसमें सदस्य के रूप में बांग्लादेश के न्यायधीश के०एम०सूबन, नेपाल के न्यायधीश पी०बी० सिंह और भारत के न्यायधीश बी०आर० कृष्णा अययर। उक्त सदस्यों ने एक स्वर मे यह तो स्वीकार किया था, कि नेपालियों को भूटान से जबरदस्ती निकाला गया है, न कि वे स्वेच्छा भूटान छोड़ कर गये है।[३२]

३. महत्वपूर्ण व प्रमुख नेपाली जाति के भूटानी अभिजातीय वर्ग के लोग जिनमें भीम सूबा जो ऊर्जा विभाग के पूर्व डायरेक्टर जनरल व स्टेट ट्रेड व इण्डस्ट्रीज मत्रं ालय के अधिकारी श्री डी०एन०एस० ढकल इन तीनों को भी भूटान छोड़ना पड़ गया, तथा वर्तमान स्थिति मं` ये लोग या तो भारत में रह रहे है या नेपाल में।[३३]

४. श्री टेकनाथ रिजाल, जो पहले रॉयल एडवाइजरी कौसिल के सदस्य भी रहे तथा पीपुल्स फोरम फॉर ह्यूमन राइटस के अध्यक्ष थे, इन्हे भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए नेपाल से चुपचाप भागना पड़ा। लेकिन बाद में नेपाल सरकार को टेकनाथ रिजाल को भूटान सरकार को सौप देना पड़ा। आज कहा जा रहा है कि वे जेल में है और राजद्रोह के अपराध में दण्डित किए जायेगे।[३४] हाल ही में १९९३ में प्रकाशित विश्व शरणार्थी सर्वे रिपोर्ट, जिसे अमेरिका की एक कमेटी ने जारी किया और कहा कि भूटान सरकार अपने यहॉ नेपाली मूल के लोगों को धीर धीरे साफ कर रहा है या तो जबरन श्रम करवाकर या जेल भेजकर या पीटकर। कहने का अर्थ है, कि शाही सरकारी नेपालियों को अपने देश से निष्कासन करने के उद्देश्य से कोई न कोई बहाना ढूंढकर उन्हें बाहर खदेड़ने के लिए मजबूर कर रही है। विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह इस मुद्दे पर भी लगा हुआ है, कि १९८५ नागरिकता एक्ट नेपालियों पर खुले दिमाग से लागू नही किया गया। उदाहरण के लिए १९८५ का एक्ट ७ प्रकार के नागरिकों की श्रेणी प्रस्तुत करता है। यानी एफ-१ प्रमाण-पत्र उन्हें दिये गये है जिन्हें भूटान का नागरिक समझा गया और अन्य लोगों को एफ-१ प्रमाण-पत्र से वंचित रखा गया।[३५] भूटान के एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग १५ हजार नपे ाली मूल के भूटानी यह नही सिद्ध कर पाय` कि उनके पूर्वज १९५८ से पहले भूटान मे रहते थे। जब कि १९७० से १९८० के दौरान ११,४४२ मामले दक्षिणी भूटान म` विदेशी लोगो के शादी से सम्बन्धित थे। इसके अलावा भूटानियो को यदि बच्चों को स्कूल म` नामांकन कराना है, या सरकारी स्वास्थ्य सेवा का लाभ प्राप्त करना है या देश व देश के बाहर यात्रा करने के लिए बीजा प्राप्त करन` के लिए या

बच्चो की स्कालरशिप प्राप्त करने के लिए या बाहर से सामान खरीदने व बेचने के लिए भूटान के स्थानीय पुलिस स्टेशन से 'पुलिस संदेह मुक्त प्रमाण पत्र' व पुलिस से आनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) इन दोनो प्रमाण पत्रो के बिना कोई भी भूटानी नागरिक कोई कार्य नही का सकता।[३७] इस प्रकार से सात प्रकार की नागरिकता व पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र भी समस्या के कारणो मे से एक प्रमुख कारण रहा है। जिसके कारण आज लाखो नेपाली मूल के भूटानी शरणार्थी के रूप मे अपना जीवन यापन करने को मजबूर है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते है कि भूटान में मानवाधिकार की समस्या दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह जातीय व नृजातीय समस्या से जुड़ी हुई है। इसके प्रमुख कारकों में सात प्रकार की नागरिकता व पुलिस स्टेशन से संदेह मुक्त प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है। क्योकि यहां एक प्रकार से दो सांस्कृतियों का संघर्ष (जिसमें एक तरफ भूटान की द्रुपका संस्कृति (समाज) तो दसू री तरफ नेपाली संस्कृति इन दोनो के बीच) देखने को मिल रहा है। जबकि भूटान की राजतन्त्रीय व्यवस्था द्वारा अपनाया गया, संवैधानिक लोकतन्त्र व 'सकल राष्ट्रीय उल्लास' जैसा कुछ नही है। क्योंकि आज भी यहां नेपाली समुदाय के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार निरन्तर जारी है।

जबकि किसी भी देश के राष्ट्र निर्माण के लिए उसके मानवीय सम्पदा का एक अमूल्य योगदान होता है,
जिसे भूटान में नेपालियों ने पूर्व में दिया भी है। मानवीयता के कारण शाही सरकार का यह दायित्व है, कि वह उनके नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी अधिकारों की रक्षा करे, क्योकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की पहचान उसके अधिकारों के कारण होती है, और यही अधिकार शरणार्थियों को भी प्राप्त है। राज्य को इसके लिए संवेदनशील होना चाहिए, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा पत्र के नाम से प्रत्येक व्यक्ति के नागरिक व सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गयी है, और प्रत्येक राज्य से यह अपेक्षा भी की गयी है। कि वह प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के ये सभी सुविधायें उपलब्ध करायें तथा उन अधिकारों की रक्षा करें जो एक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसके लिए शरणार्थियों को भी मुख्यधारा में लाना होगा। भूटान का लोकतंत्र प्रथम दृष्टयः वास्तविक लगता है, लेकिन जहाँ तक शरणार्थियों के साथ होने वाले मानवाधिकार के हनन को देखा जाये, तो कहीं न कहीं यह लोकतंत्र मात्र छद्म लोकतंत्र (Fraud Democracy) साबित हो रहा है, जिसमें कुछ नागरिको के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस ने भी कहा है कि 'जमीन' कुछ ही लोगों के लिए डायनिंग टेबल उपलब्ध कराती है और जो अनचाहे लोग है, बिना बुलाये आयेगे तो भूखे मरेगे। किन्तु नेपाली मूल के भूटानी वे अनचाहे लोग नही है, इन्हें तो बुलाया गया था, इसलिए इनका भी उतना ही योगदान है, जितना कि समाज के अन्य लोगों का है। क्योंकि किसी भी देश के विकास में श्रमिकों का भी उतना ही योगदान

होता है। आप चाहे जिस देश को ले लीजिए, क्योंकि उन्ही के खून पसीने से ही किसी देश का राष्ट्र निर्माण होता है। लेकिन दुर्भाग्य वश जो लोग स्वयं देश निर्माण म` अपना जीवन लगा देते है, उन्हें अधिकार प्राप्त नही है, कि वे अन्य लोगों की तरह जीवन जी सकें।

मानवाधिकार संरक्षण के सम्बन्ध में इससे अधिक संवेदनशील बात कुछ हो नही सकती क्योंकि ये वे लोग है, जो अकथनीय एवं असहनीय पीड़ी सहते हुए अपने जीवन जीने के लिए बाध्य है, जो तड़फती धूप मं` व खुले आसमान से बने छप्पर में कभी कभी उनके मुस्कराते सूखे ओठ मानो यह कहते हो, कि ''पंख न ही सही हौसले तो है ही हम में''। और हम वे परिन्दे है, जो हौसलों से जिया करते है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. कपूर, डॉ० एस०के०, (२०११), 'मानवाधिकार' इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, पृष्ठ १४०.

2. Vanhanen, Tatas, (2004), 'Problems of Democracy in Ethnically Devided South Asian Countries' Sweden Paper for Presentation at the 18th European Conference on Modern South Asian STatatics Finland 6-9 July, 2004 pp.3.

3. झा, डॉ० रूप नारायण, (१९९८), 'भारत भूटान सम्बन्ध (१९४७-९७'),जयपुर, यू`नवर्सिटी बुक हाउस, पृष्ठ १६७-१७०.

4. Mishra, Dr. R.C., Chaturvedi Minakshi, (1996) **दक्षिण एशिया में भूटान** pointer publisher Jaipur page no. 114.

5. Christopher, Strawn D.N.S. Dhakal, (1994), 'Bhutan a Movement in exile', New Delhi, Nirala Publication p.n. 110, 144, 170 to 175.

6. Khanal, Krishna P., "Human Rights and Refugee Problem in south asia: the case of Bhutanese refugees", Nepalese Studies, 2 July 1998, Vol. 25, No. p.n. 143-168.

7. वर्ड फोकस, हिन्दी संस्करण, वार्षिक अंक, 'भारत के पड़ोसी देश और विदेश नीति कितनी सफल', नवम्बर, दिसम्बर २०११, अमृता बनर्जी का लेख, 'भारत भूटान में वैश्विकक्रम में द्विपक्षीय सम्बन्धों का पुनरीक्षण, नई दिल्ली, पृष्ठ ६०.

8. Rajput, Madhu ,(2010), 'Democracy and Human Right in Bhutan' in Dr. Sudhir Singh ed. Bhutan from Theocracy to Democracy, Jaipur Gautam book, Company page 45-51.

9. Gallencamp, Marian (2010), 'Democracy in Bhutan an analylsis of Consititutional Change A Buddhist Monarchy, New Delhi, Institutute of Peace and Conflict Studies, p.p. 6-7.

10. Royal Government of Bhutan, (1993), Ministry of Foreign Affairs, The Southern Bhutan Problem Threat to a Nation's Survival (Thimphu : Ministery of Foreign Affairs, 1993) pp. 49-58.

11. शर्मा, सुभाष, (२००९), 'भारत मे ं मानवाधिकार', नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया पेज नं० ७,८.

12. थ्सिंह, डॉ० नागेन्द्र, (१९७५), 'भूटान: हिमालय की गोद में स्थिति राज्य' , दिल्ली, रिसर्च पब्लिकेशनस इन सोशल साइन्सेज, पेज नं० ४९-५२.

13. कपूर, डॉ० एस०के०, (२०११), 'मानवाधिकार' इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, पृष्ठ ४१-४२.

14. कपूर, डॉ० एस०के०, (२०११), 'मानवाधिकार' इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, पृष्ठ ४१-४२.

15. वही, पृष्ठ ३६-३७.

16. शर्मा, सुभाष, (२००९), 'भारत मे ं मानवाधिकार', नई दिल्ली, नशे ानल बुक ट्रस्ट, इण्डिया पेज नं० १७, १८.

17. वही पृष्ठ १९-२१.

18. Ikram, Zubia, (2014), 'Bhutanese Refugees in Nepal : An Analysis', Published by : Pakistan Institute of International affairs vol, 58 A Pp. 104-105, accessed : 16/01/2014.

19. वही पृष्ठ १०५.

20. वही पृष्ठ १०६-१०७-

21. Oli, K.P. Sharma, "Different Dimensions of Bhutanese Refuge Problem: Its Implications and Lasting Solutions http://kpoli.com 8/09/2011.

22. C. Joseph Mathew, (1999), 'Ethnic Conflict in Bhutan', New Delhi, Nirala Publications pp. 130.

23. Mishra, Dr. R.C., Chaturvedi Minakshi, (1996) **दक्षिण एशिया में भूटान** pointer publisher Jaipur page no. 92. To 105.

24. सुब्बा, आर पी मिश्रा, टी पी, ''भूटान का सकल राष्ट्रीय उल्लास' ' समकालीन तीसरी दु निया, अप्रैल २०१०.

25. Hutt, Michael, (2002) "The Bhutanese Refugee" Betweem Verification. Repatriation and Rayal Real politik CSO (TI) page 44 to 53.

26. सुब्बा, आर पी मिश्रा, टी पी, ''भूटान का सकल राष्ट्रीय उल्लास'' समकालीन तीसरी दुनिया, अप्रैल २०१०.

27. Christopher, Strawn, D.N.S. Dhakal, (1994), 'Bhutan a Movement in exile', New Delhi, Nirala Publication p.n. 170 to 175.

28. Mishra, Dr. R.C., Chaturvedi, Minakshi, (1996), **दक्षिण एशिया मंे भूटान** pointer publisher Jaipur page no. 92. To 105.

29. वही पृष्ठ ५०-५१.

30. वही पृष्ठ ५१.

31. Mishra, Dr. R.C., Chaturvedi Minakshi, (1996), **दक्षिण एशिया में भूटान** pointer publisher Jaipur page no. 117. To 118.

32. वही पृष्ठ ११८

33. A Dissertation document preapared for UNICEF Regional Office South Asia, 'Bhutan : conflict, Displacement & Children.

34. N.R.C, Norwegian, Rufugee conncih Reports Bhutan, (2008), Rechard Skrettebery Bhutan land of happiness for the selected-2. pp. 4-5.

35. Dixit, Koank Mani, (2005), 'Bhutan's Lhotshampa Change Sheet' the news (Karacli), 11 March, 2003.

36. N.R.C., Norwegian, Refugee Councel Reports Issue, (2008), p.5.

37. कुमार, अनिल, (२०१५), 'भूटान में लोकतान्त्रिक आन्दोलन (अप्रकाशित), शोध प्रबन्ध, बी०बी०ए०यूनिवर्सिटी, लखनऊ, पेज १२२.

Copyright © 2016 *Dr.* Anil Kumar. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.